

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-153/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुनीता रानी, नर्स-2 (परिवीक्षणी) जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर को चिकित्सा प्रमाण-पत्र (स्वयं की बीमारी) के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस	विवरण
1	07.07.16	25.09.16	81	असाधारण अवकाश
2	10.11.16	15.11.16	06	
3	04.12.16	09.12.16	06	
4	23.12.16	26.12.16	04	
5	05.01.17	12.01.17	08	
कुल			105 दिवस	

उक्त आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में 75 दिवस अभिवृद्धि की जावेगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-153/2019/320

दिनांक:- 11/3/19

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 40/एस.एम./एमएण्डएच/2019 दिनांक 14.02.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 943/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 15.02.2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 283 दिनांक 11.02.2019 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
5. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर।
6. श्रीमती सुनीता रानी, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर